COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

2858

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2017/4733

दिनांक 29.11.17 को श्री एस.के. खरे अभि० द्वारा प्रस्तुत/

29.11.17

पे.दि. 8.12.17

S.K.Khare (S.K.Khare) 29/11/17

NOH 08/12/17

वीरसिंह दांगी पुत्र श्री भज्जू दांगी आयु– 37 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– दंगयाना मोहल्ला, निवाडी, जिला – टीकमगढ ....आवेदक

बनाम

1– वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह दांगी, निवासी– निवाडी तहसील निवाडी जिला टीकमगढ

2– भज्जू दांगी पुत्र श्री रामचरण दांगी

3– प्रकाश दांगी पुत्र श्री रामचरण दांगी

क्रमांक 2 व 3 निवासीगण– दंगयाना मोहल्ला, निवाडी, जिला – टीकमगढ ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 27/09/2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी जिला टीकमगढ जो प्रकरण कमांक 224/अपील/2016–2017 में पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि वाह्य मानते हुये निरस्त की है । निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक एवं अनावेदकगण के सहस्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 289, 290, 291, 293 रक्वा कमशः 0.129, 0.348, 0.183 एवं 0.214 कुल रक्वा 0.874 है0 कुल लगभग 7.536 स्थित मौजा निवाडी खास जिला टीकमगढ है जिसमें आवेदक का 1/3 भाग अनावेदक कमांक 1 का 1/3 भाग एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 का कमशः 1/6, 1/6 भाग है। खसरा पंचशाला वर्ष 2012–2013 की प्रति निगरानी के साथ संलग्न किया जाकर **प्रदर्श ए/2** से चिन्हित किया गया है। आवेदक को प्रदान की गयी भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति निगरानी के साथ संलग्न किया जाकर **प्रदर्श ए/3** से चिन्हित किया गया है।

2– यह कि, अनावेदक कमांक 1 द्वारा उपरोक्त आराजी का बॅटवारा कराये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का अनावेदक कमांक 2 व 3 के विरूद्व दिनांक 02/05/2013 को प्रस्तुत किया जाना कहा जाता है। निर्विवाद रुप से उक्त बॅटवारे के प्रकरण में

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4733 वीरसिंह विरूद्ध वीरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के प्रकरण क्रमांक 224/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	